R.5228-प्रै115

न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

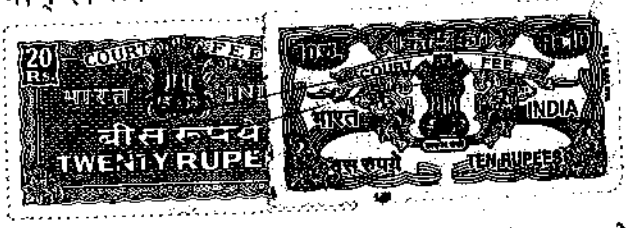

Rs.30/-

R5228-III/15

जय करण सिंह तनय श्री रामरूद्र सिंह उम्र 51 साल निवासी ग्राम चोरमारी तहसील थाना रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0

.... निगराकार/ प्रार्थी

बनाम

1- प्रेमवती सिंह पत्नी कमलभान सिंह उम्र 55 साल

2- कमलभान सिंह तनय श्री रामरूद्र सिंह उम्र 58 साल

निवासी ग्राम चोरमारी तहसील थाना रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0

... गैर निगराकार गण

श्री शशिकान्त मिश्रा पक्ष द्वारा आज दिनांक 15-12-15 को प्रस्तुत किया गया। रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

राजस्व निगरानी

निगरानी विरूद्ध आदेश श्री मान् अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा म0प्र0 के आदेश दिनांक 27.11.15 बावत प्रकरण

अस्वीकृत / पुर्नविलोकन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 151 व्य.प्र.स. संहिता शामिल प्रकरण 795/अपील/12-13 के आदेश दिनांक 12.08.13

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू. राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है

1- यहाँ के निगराकार / आवेदक और गैर निगराकार क्रमांक -2 आपस में सगे भाई है, और एक ही पिता की सन्तान है, तथा गैर निगराकार क्रमांक -1 गैर निगराकार क्रमांक -2 की पत्नी है ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-5228/II/15 जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	(जयप्रकाश) कार्यवाही तथा आदेश (प्रेमवती)	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-3-16	यह निगरानी अपर आयुक्त के पुनर्विलोकन प्रकरण क्र. 795/अ./12-13 में पारित आदेश दिनांक 27-11-15 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण 795/अपील/12-13 में पारित आदेश दिनांक 12-8-13 के पुनर्विलोकन के आवेदन को आदेश दिनांक 27-11-15 से स्वीकार किया गया है। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री शशिकान्त मिश्रा के तर्कों पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर विचार किया गया एवं प्रश्नाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति का परिशीलन किया गया। परीक्षण करने पर पाया गया कि आवेदक द्वारा अनावेदिका द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन के संबंध में यह आपत्ति की गई कि अनावेदिका द्वारा अपर आयुक्त के आदेश दि. 12-8-13 के विरुद्ध मान. राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की है और अपर आयुक्त के समक्ष पुनर्विलोकन का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया है इस प्रकार दो अलग-2 न्यायालयों से एक ही आदेश के विरुद्ध सहायता चाही जा रही है पुनर्विलोकन आवेदन पत्र निरस्त करने का निवेदन किया गया। अना० द्वारा आवेदक के उक्त आक्षेपित तथ्यों का खण्डन करते हुए कहा कि मात्र पुनर्विलोकन आवेदन पेश किया गया है रा०मं० में निगरानी पेश नहीं की गई है। आवेदक द्वारा निगरानी एवं पुनर्विलोकन दोनों आवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका परिणाम स्वरूप अपर आयुक्त द्वारा पुनर्विलोकन आवेदन स्वीकार करते आवेदक की आपत्ति आवेदन निरस्त किया जाकर प्रकरण तर्क हेतु नियत किया गया। आवेदक द्वारा इस निगरानी में भी ऐसा कोई अभिलेखीय तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट होता कि अनावेदिका द्वारा एक ही आदेश के विरुद्ध दोनों न्याया० रा०मं० एवं अपर आयुक्त न्याया० से सहायता	

R 5228/11/15 पटना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
जयकृष्ण	प्रेमवती	
	वाद दाम किए गये हैं पीठासीन विद्वान अपर आयुक्त द्वारा प्रश्नाधीन आदेश दि० 27-11-15 जारी करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। अतः अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 27-11-15 यथावत रखा जाता है। तथा उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में निगरानी में ग्राह्यता का पर्याप्त एवं समुचित आधार न होने से निगरानी अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प०प०रि० हो। (हस्ताक्षर) ([illegible])	